के. कृष्णा एम. ए. रायहनी

बनाम

भारतसंघ और अन्य

16 मई, 2007

(डा. अरिजीत पासायत और लोकेश्धरसिंह पंत, जे.जे.)

नागरिकता अधिनियम, 1955 - धारा 6- देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता के अनुदान बाबत् - अपीलार्थी के आवेदन पर विवाद-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि नागरिकता के लिए उनके आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था-उत्तरदाताओं ने हालांकि कहा कि आवेदन का निपटान एक आदेश केन्द्र सरकार को सूचना के रूप में किया गया था जिसकी प्रति अपीलार्थी को दी गई थी- अभिनिर्धारितः

अपीलार्थी स्वतंत्र है कि वह उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए कानून में उपलब्ध उपचार का लाभ उठा सके।अपीलार्थी ने देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया। इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इस न्यायालय में अपील करते हुए, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि नागरिकता के लिए उसके आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।उत्तरदाताओं ने हालांकि कहा कि अवर सचिव, भारत सरकार का दिनांकित 29.8.2006 का संचार जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को दी गई थी, वह देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के

लिए अपीलार्थी की प्रार्थना अंतर्गत धारा 6(1) नागरिकता अधिनियम, 1955 का निपटान आदेश है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया- अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि संचार दिनांकित 29.8.2006 अपीलार्थी के नागरिकता देने के लिए आवेदन का निपटान करने का आदेश है।अपीलार्थी उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए कानून में उपलब्ध उपचार का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है। (पैरा 10 और 11)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 744/2007

बंबई उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.10.2006, जो कि आपराधिक रिट याचिका सं. 1262/2006 में पारित किया गया, से उत्पन्न।

ए.वी. सावंत, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमित सक्सेना, अमित यादव और एस. वी. देशपांडे - अपीलार्थी की ओर से।

मोहन परासरन, ए.एस.जी., बीनू टम्टा, सुषमा सूरी और रवींद्र केशव राव अदसुरे - उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डा. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए बाम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

3. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं

4. अपीलकर्ता का जन्म 28.8.1973 को मुंबई में हुआ था।उनके स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र से पता चलता है कि अपीलकर्ता को मुंबई के चेंबूर में कर्नाटक हाईस्कूल में दाखिला दिया गया था और उन्होंने 29.8.1988 को स्कूल छोड़ दिया था। 4.12.1993 को भारतीय रिज़र्ब बैंक (संक्षेप में आर बी आई) ने अपीलकर्ता को भारत में व्यापार में शेयरों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (संक्षिप्त FERA के लिए) की धारा 29(1)(बी) के तहत अनुमति दी। उन्होंने महाराष्ट्र के एक रेल्वे स्टेशन पर कैटरिंग का ठेका भी लिया। 15.07.2003 को अपीलकर्ता ने नागरिकता अधिनियम, 1955 (संक्षिप्त में अधिनियम के लिए) की धारा 6 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया।प्रारंभ में राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 6(1) के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था।अपीलकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करते हुए भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा एक पत्र भी लिखा गया था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने कई मौकों पर ईरान के महा वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया। 7.10.2005 को अपीलकर्ता के विरूद्ध निर्वासन का आदेश पारित किया गया था। आदेश को चुनौती देते हुए

बाम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। इसे 17.2.2006 को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, इस न्यायालय ने कुछ निर्देशों के साथ 2006 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 17 को अनुमति दे दी।अपीलकर्ता का मामला यह है कि यद्यपि पुलिस अधिकारियों को उनकी उपस्थिति की आवश्यकता थी, लेकिन बिना कोई कारण बताए नोटिस जारी किए गए थे। पुलिस उपायुक्त, मुंबई द्वारा अपीलकर्ताओं की दि. 3.4.2006 को उपस्थिति की आवश्यकता के लिए नोटिस जारी किया गया था। 4.4.2006 को विस्तृत उत्तर दाखिल किया गया। 10.4.2006 को उपस्थित रहने के लिए 7.4.2006 को चेतावनी जारी की गई थी। उक्त तिथि को उत्तर प्रस्तुत किया गया। 26.5.2006 को पुलिस निरीक्षक द्वारा अपीलकर्ता को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 10.4.2006 को उपस्थित रहने के लिए 7.4.2006 को चेतावनी जारी की गई थी। उक्त तिथि को उत्तर प्रस्तुत किया गया। 26.5.2006 को पुलिस निरीक्षक द्वारा अपीलकर्ता को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 26.5.2006 को दिनांक 10.4.2006 का नोटिस अपीलकर्ता को प्राप्त हुआ जिसमें उसे देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.6.2006 को उत्तर प्रस्तुत किया गया। एक रिट याचिका (डब्ल्यू.पी. 1262/06) निम्न प्रार्थनाओं हेतु दायर की गई थी जिसमें-

(ए) देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी,

(बी) अपीलकर्ताओं के भारत में निवास के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना,

(सी) इस न्यायालय के आदेशों का पालन किए बिना अपीलकर्ता को निर्वासित न किया जाए।

5. पत्र दिनांक 29.8.2006 द्वारा, अवर सचिव, भारत सरकार ने राज्य सरकार के पत्र दिनांक 6.7.2006 का संदर्भ देते हुए दिनांक 15.12.2003 का पत्र वापस ले लिया। 13.10.2006 को उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। 17.10.2006 को अपीलकर्ता को देश छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद एस एल पी दायर की गई और निर्वासन पर रोक लगाने के लिए 6.12.2006 को नोटिस जारी किया गया।

6. अपीलकर्ता के अनुसार नागरिकता के लिए उसके आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। दिनांक 29.8.2006 के संचार में कोई कारण नहीं बताया गया है कि यह मानने का आधार क्या था कि सार्वजनिक हित में उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की जानी थी। भारतसंघ और महाराष्ट्र राज्य द्वारा विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

7. हालांकि, उन्हें विस्तार से संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. विद्वान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल और महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि दिनांक 29.8.2006 का संचार, जिसकी प्रतिलिपि अपीलकर्ता को दी गई थी, अधिनियम की धारा 6(1) के तहत देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना का निपटान करने वाला आदेश है।अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि दायर किए गए जवाबी हलफना में भी इस बात पर कोई विशेष रूख नहीं अपनाया गया कि विचाराधीन संचार, अधिनियम की धारा 6(1) के संदर्भ में आदेश था।किसी भी सूरत में, उनके अनुसार कोई कारण नहीं बताये गये हैं।

9. उत्तर के माध्यम से विद्वान एएसजी ने बताया कि अधिनियम की धारा 14 स्थिति स्पष्ट करती है कि अधिनियम की धारा 5 या 6 के तहत आवेदन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आग्रह किए गए विभिन्न बिंदुओं पर जाना आवश्यक नहीं है कि यह भारतसंघ के विद्वान एएसजी और महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया है कि संचार दिनांक 29.8.2006 अपीलकर्ताओं के नागरिकता के अनुदान के लिए आवेदन का निपटान आदेश है।

11. अपीलकर्ता उक्त आदेश के मद्देनजर कानून में उपलब्ध ऐसे उपाय का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। तद्नुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आराधना शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।